राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

देवकी बनाम बनवारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/02/2026	1768/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 12/02/2026 को पेश हो		
12/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/03/2022 पारित करते हुये तहसीलदार पावटा को विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 361/0.18, 365/0.26, 368/0.46, 369/0.20, 371/0.47 वाके ग्राम मौजा जोधपुरा व आराजी खसरा नम्बर 1014/0.60, 1035/0.87, 1036/0.22 वाके ग्राम किराडोद तहसील पावटा स्थित आराजीयात का पक्षकारान कि मौजूदगी में राजस्व बोर्ड के नियमानुसार मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की प्रश्नाधीन वाद की पत्रावलीयो का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की समुचित सुनवाई किये बगैर सरसरी तौर पर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक प्रावधानों एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विधिसम्मत प्रतीत नही होती है	अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये समस्त सहखातेदारान/पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरणों के तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुये विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी किया जाना जाहिर होता है	अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/03/2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये उभयपक्षों की सुनवाई कियां		

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

देवकी बनाम बनवारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाना सुनिश्चित कर उद्धरित तथ्यों का परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 12/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |